

FORM No. III

फंद अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

डी.श. मेडिकल एजेंसी बनाम सदस्य सचिव मेडिकल एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक

क्रि.सं. मुकदमा अपील R.T.P.P. सं. 80 त. 2019

तारीख हुदम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नस्बत व तारीख बहानाम जो इस हुदम की तामील में जारी हुए
23 ¹⁰ / ₁₉	<p>अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित हैं। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 3 के नियम 38 (1) में दिये गये निर्देशों में प्रथम अपील दायर करने की अवधि 10 दिवस निर्धारित की गई है। कार्यालय सदस्य सचिव मेडिकल रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक द्वारा विभिन्न प्रकार की जैनेरिक औषधियां आपूर्ति हेतु की गई निविदा में तकनीकी निविदा दिनांक 3-9-2019 को खोली गई किन्तु अपीलान्त द्वारा अपील दिनांक 21-10-2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। अपीलान्त द्वारा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 7 के नियम 84 के अनुसार प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय निर्धारित शुल्क 2500/अक्षरे दो हजार पाँच सो रुपये का डी0डी/ बैंकर चेक संलग्न नहीं किया गया है। अतः अपील विचारणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">-98-</p> <p style="text-align: center;"><u>जिला कलेक्टर</u> टोंक</p>	

